भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1825**

उत्तर देने की तारीख 10 मार्च, 2025
19 फाल्गुन, 1946 (शक)

**कबड्डी को बढ़ावा देने हेतु कदम**

**1825. श्री दर्शन सिंह चौधरी:**

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं हेतु खिलाड़ियों और चैंपियन खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री**

**(डॉ. मनसुख मांडविया)**

(क) 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण देश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और विकसित करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों की है। तथापि, केंद्र सरकार अपनी विभिन्न स्कीमों के तहत उनके प्रयासों में सहयोग देती है।

अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने की तैयारी कर रहे एथलीटों को राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को सहायता स्कीम और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस) के तहत सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग): किसी विशिष्ट खेल विधा के प्रचार और विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित एनएसएफ की है। कबड्डी को बढ़ावा देने और उसके विकास के लिए मंत्रालय ने भारतीय एमेच्योर कबड्डी महासंघ (एकेएफआई) को मान्यता प्रदान की है।

*****